संख्याः 01/2018/1240/चैबीस-पी-3-2018-सा0 (151)/2017

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रबंध निदेशक,
   उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0,
   शक्ति भवन, लखनऊ।
2. कार्यवाहक निदेशक,
   विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0,
   गोमतीनगर लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग- 3 लखनऊः दिनांक 11 जून, 2018

विषयः प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा ऊर्जा विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पत्रांक-1560/78-2-2015-53 आई0टी0/2008 दिनांक 23.09.2015 द्वारा विभिन्न विभागों की शासकीय सेवाओं में इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है, जिससे प्रदेश में आम जन को शासकीय सेवाओं को त्वरित गति एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जा सके। ऊर्जा विभाग की 04 अतिरिक्त सेवाओं को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि ऊर्जा विभाग की इन सेवाओं को जन सेवा केन्द्रो/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सुगमतापूर्वक आम जनमानस को उपलब्ध कराया जा सके।

2- वर्तमान में जन सेवा केन्द्रो/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों पर शासनादेश सं0-11/2016/11/78-2-2016-34आई0टी0/2010 दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवाओं के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज लिया जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित 04 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जनमानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें जन सामान्य/उपभियों को प्रत्येक शासकीय सेवा के लिये निम्नानुसार यूजर चार्ज लिया जायेगाः-

क्र0 सं0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश(रू०)				कुल चार्ज(रू०)
		एस0सी0 ए0/केन्द्र संचालक	विभाग	डी0ई0जी0 एम0/ लोकवाणी सोसाइटी	सी0ई0 जी0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Name change for electricity connection	6	5	7	2	20
2	Category change for electricity connection	6	5	7	2	20
3	Load enhancement of electricity connection	6	5	7	2	20
4	Compensation for electrical accidents	6	5	7	2	20

3- ऊर्जा विभाग की इन चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों से प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए उपरोक्त प्रस्तर-2 के अनुसार यूजर चार्जेज लिये जायेंगे। यदि कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूज़र चार्जेज़ लागू नहीं होंगे एवं नागरिक अपने क्रेडिट/डेबिट/नेट बैंकिग से सेवा हेतु निर्धारित फीस का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र आपरेटर सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर भी उपरोक्त यूज़र चार्जेज़ लागू नहीं होंगे।

4- आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र, तथा ई-सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध किये जाने के पश्चात केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लाग-इन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से संबंधित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रानिक्स प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र संबंधित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

5- बिन्दु सं०-4 की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण विभागीय शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार पूर्ण किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार सभी संबंधितों द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3. प्रबंध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यान्चल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी /मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं कैस्को, कानपुर।
4. श्री ए0पी0 सिंह, अधीक्षण अभियंता, (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

महावीर प्रसाद गौतम
अनु सचिव।